

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर

प्रकरण संख्या :-13/26

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
मनीवाईज फाईनेशियल सर्विसेज प्राईवट लिमिटेड 11/6-बी, सैकेण्ड फ्लौर शांति चैम्बरस पुसा रोड, नई दिल्ली जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री समय कोछर		1. कामधेनु एसोसिएट्स प्रोपराईटरशिप फर्म जिसकी प्रो. मंजू रामदेव मंदिर के पास, पट्टा संख्या 137ए, सुभाष कॉलोनी, नयापुरा पीपाड़ सिटी, जोधपुर 2. मंजू पत्नि सुमेर सिंह रामदेव मंदिर के पास, पट्टा संख्या 137ए, सुभाष कॉलोनी, नयापुरा पीपाड़ सिटी, जोधपुर 3. सुमेर सिंह पुत्र जवाहर लाल रामदेव मंदिर के पास, पट्टा संख्या 137ए, सुभाष कॉलोनी, नयापुरा पीपाड़ सिटी, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-आदेश

दिनांक :-07.05.2026

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण कामधेनु एसोसिएट्स प्रोपराईटरशिप फर्म जिसकी प्रो. मंजू व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रुपये 30,66,619/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण मंजू पत्नि सुमेर सिंह की जायदाद प्लॉट नं. 07 व 08, खसरा नम्बर 935, ग्राम सिन्धीपुरा, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 232.34 वर्ग मीटरको प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम से नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 03.09.2025 तक 34,50,112/- भुगतान नहीं किया। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई संपत्ति को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।



RajKaj Ref No.:
22070755
M e-Sign



Signature valid
Digitally signed by Alok Ranjan
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.05.07 09:35:51 IST
Reason: Approved

धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 6256/2016 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2016 में यह माना है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी गारण्टर्स या किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा के अन्तर्गत अपील का आनुकल्पिक उपचार ऋणी या अन्य व्यक्तियों का प्राप्त है। इसके अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा भी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम सत्यवती टंडन व अन्य में तथा माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय की डिबिजन बैंक द्वारा भी विभिन्न प्रकरणों में यह मान है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा के तहत ऋणी को अलग से नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में ही इस प्रकरण में भी अप्रार्थीगण को संबंधित बैंक/फाईनेंस कम्पनी द्वारा धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस तामिल होने से इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को अलग से नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 30,66,619/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 03.09.2025 तक 34,50,112/-वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्त/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्तजायदाद मंजू पत्नि सुमेर सिंहकी जायदाद प्लॉट नं. 07 व 08, खसरा नम्बर 935, ग्राम सिन्धीपुरा, तहसील पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 232.34 वर्ग मीटरका कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नंबर 14449/25 में पारित आदेश दिनांकित 30.10.2025 के अनुसार प्रार्थी को पुलिस इमदाद बाबत खर्चा जमा करने की आवश्यकता नहीं है।



आदेश आज दिनांक 07.05.2026 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Ajit Ranjan
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2026.05.07 19:35:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22070755
M e-Sign